





ANSWER IDR NO.		SUBJECT		ECONOMICS	
STUDENT'S NAME	:	PRERNA TIWARY		 <i>Prerna Tiwary</i>	
MOTHER'S NAME	:	PUSHPA TIWARY			
FATHER'S NAME	:	TRILOKI NATH TIWARY			
DATE OF BIRTH	:	27/03/2004			
SESSION	:	2023-2024			
SEMESTER	:	5			
CENTRE	:	101-JAMSHEDPUR WOMEN'S UNIVERSITY, SIDHGORA CAMPUS			

SUBJECTS	SUBJECT CODE	PAPER CODE	PAPER NAME	EXAM DATE	
CORE-XI	3195	UGCCECO511	INDIAN ECONOMY - I	03/02/2024	
CORE-XII	3196	UGCCECO512	DEVELOPMENT ECONOMICS - I	07/02/2024	
DSE-I	3197	UGCCECODSE-1	INTERNATIONAL TRADE	10/02/2024	
DSE-II	3198	UGCCECODSE-2	ECONOMIC HISTORY OF INDIA 1857-1947	16/02/2024	



(CONTROLLER OF EXAMINATION)



(CENTER SUPERINTENDENT)

**DATE OF COMMENCEMENT OF EXAMINATION 01/02/2024**

**महत्वपूर्ण निर्देश:-**

परीक्षार्थियों के लिये नियम

- परीक्षार्थियों को झारखण्ड सरकार द्वारा जारी की गई शारीरिक दूरी, मास्क पहनने और अन्य कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
- परीक्षाएँ प्रकाशित तिथि को निर्धारित कार्य-क्रम के अनुसार होगी।
- केवल नीली या काली स्पाही वाले पेन का इस्तेमाल करें।
- परीक्षा-कक्षों के द्वार परीक्षा आरम्भ होने के आधा घंटा पहले खोल दिये जायेंगे। परीक्षा आरम्भ के 5 मिनट पहले बन्द कर दिये जायेंगे। निर्धारित समय से आधे घंटे विलम्ब से आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु इसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- जो उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को एक बार सौंपी जा चुकी हो, वह किसी भी हालत में परीक्षार्थी को लौटायी नहीं जायेगी।
- परीक्षा कक्ष से प्रश्न-पत्र और प्रवेश-पत्र के अलावे अन्य कागजात बाहर ले जाना परीक्षार्थियों के लिए वर्जित है।
- प्रश्न-पत्र बंटने के बाद एक घंटे तक किसी परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका वापस नहीं करने दी जायेगी।
- परीक्षा-भवन से एक बार बाहर हो जाने पर परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्ति तक कक्ष में पुनः आने नहीं दिया जायेगा।
- यदि कोई परीक्षार्थी कक्ष-निरीक्षक से पुछना चाहता हो तो उसे अपने स्थान पर चुपचाप खड़ा रहना चाहिए ताकि कक्ष-निरीक्षक वहाँ पहुँच कर जानकारी प्राप्त कर सकें।
- प्रश्न-पत्र बंटने के ठीक पाँच मिनट पहले घंटी बजायी जायेगी जो इस बात की चेतावनी होगी की सभी परीक्षार्थी अपने स्थानों पर बैठ जाएँ। चेतावनी की इस घंटी के बाद परीक्षा भवन या उसके निकटवर्ती स्थानों पर कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाई की जा सकती है।
- परीक्षा बहिष्कार करने या सामूहिक कदाचार करने पर पुनः परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है।
- वीक्षक या केन्द्राधीक्षक को डरवाने या धमकाने अथवा प्रताड़ित करने पर 2 से 5 वर्षों तक महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
- परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में मोबाईल/स्मार्टवॉच लाना वर्जित है। पकड़े जाने पर मोबाईल/स्मार्टवॉच जप्त की जायेगी।
- इस नियम में जो बातें न आ सकी हों उनके संबंध में केन्द्राधीक्षक आवश्यकतानुसार परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथोचित आदेश दे सकते हैं।

